

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर,
जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश।

संख्या:-हमीरपुर(पंच)-निर्वाचन/आरक्षण/2020 -/9/6-2/83 दिनांक 14, दिसम्बर,2020.

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1) 10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 व पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1) 10/2010-73159-171 दिनांक 07.12.2020 में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मैं, देबश्वेता बनिक (भा0प्र0से0) उपायुक्त, हमीरपुर, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला हमीरपुर की पंचायत समिति सुजानपुर, बमसन, भोरंज, बिझड़ी, हमीरपुर तथा नादौन के अध्यक्ष पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एवं महिलाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्न प्रकार से आरक्षित करती हूँ:-

क्रम संख्या	पंचायत समिति (निर्वाचन क्षेत्र)	आरक्षण स्थिति
1	सुजानपुर	महिला
2	बमसन	अनुसूचित जाति महिला
3	भोरंज	अनारक्षित
4	बिझड़ी	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
5	हमीरपुर	अनारक्षित
6	नादौन	अनारक्षित

देबश्वेता बनिक (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या:- 1916-2183
प्रतिलिपि:-

दिनांक 14 दिसम्बर, 2020.

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0प्र0 शिमला-9 को सूचनार्थ।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को सूचनार्थ।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हमीरपुर, जिला हमीरपुर की सेवा में सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक मुद्रण एवम लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
5. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) जिला हमीरपुर को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति जिला हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी हमीरपुर जिला हमीरपुर को जनसाधारण की जानकारी के प्रकाशनार्थ एवं प्रचार हेतु।
9. समस्त ग्राम पंचायत सचिव विकास खण्ड जिला हमीरपुर को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जिला हमीरपुर के माध्यम से इस आदेश सहित की इस अधिसूचना की प्रति अपने अभिलेख में रखने के साथ-साथ ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पान करें।
10. ई-गजट में प्रकाशनार्थ।
11. कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
12. गार्ड पत्रावली।

उपायुक्त,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)